IS15700:2018

संतोषजनक प्रमाणित

# उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
## कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
### वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–6

नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

*Email Id : ap6@upavp.com*

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS IS 15700 SQMS

पत्रांक- 69 वा0नि0ई0-6/ फाईल सं०-142 / दिनांक- 06/01/2023

**स्वीकृति पत्र**

सेवा में,

मैसर्स अलबीनो कंस्ट्रक्शन,
फ्लैट न०-403, श्रीराम अपार्टमेन्ट,
न्यू बैरी रोड, डालीबाग, लखनऊ-226001

**मैसेज बोर्ड द्वारा**

विषयः- **वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2668क की 2460.0 वर्गमी0 भूमि के समायोजन के उपरान्त पुनर्रीक्षित उपविभाजन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र दिनांक 23-11-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से भूखण्ड संख्या-16/KHA-2668KA, सेक्टर-16, वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ के स्वीकृत उपविभाजन मानचित्र इस कार्यालय के पत्र संख्या-1947 दिनांक 01-08-2022 द्वारा निर्गत को पुनर्रीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

वृन्दावन योजना संख्या-4 के अन्तर्गत माननीय निदेशक मण्डल की 249वीं बैठक दिनांक 10.02.2020 के मद संख्या-249/6 एवं 253वीं बैठक दिनांक 22.06.2021 के मद संख्या-253/46 पर वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ में, समाविष्ट ग्राम-हैवतमऊ मवैया के खसरा संख्या-2668क की 2460.0 वर्गमी0 भूमि के समायोजन किये जाने के निर्णय उपरान्त आवास आयुक्त(म0) द्वारा दिनांक 21-09-2021 को समायोजन मानचित्र निर्गत है।

आपके द्वारा विषयगत आवासीय भूखण्ड के उपविभाजन हेतु किये गये उपरोक्त आवेदन दिनांक 23-11-2022 के क्रम में निम्न शर्तो सहित पुनर्रीक्षित उपविभाजन मानचित्र निर्गत किया जाता हैः-

1. स्वीकृत उप-विभाजन ले-आउट/नम्बरिंग मानचित्र की वैधता अवधि दिनांक 06-01-2023 से 31-07-2027 तक की होंगी।
2. पूर्व स्वीकृत उप-विभाजन मानचित्र मे 15 नग आवासीय भूखण्ड अनुमन्य किये गये है। संशोधित प्रस्तावित मानचित्र मे भूखण्डो की नम्बरिंग 16A/KH-2668/R-1 से 16A/KH-2668/R-12 एवं 16A/KH-2668/R-12A (कुल 13 नग) तक स्वीकृत की गई है सभी भूखण्डो का उपयोग आवासीय ही अनुमन्य होगा।
3. उपविभाजित आवासीय भूखण्डों पर एकल आवासीय इकाई ही अनुमन्य होगी।
4. मानचित्र स्वीकृति शर्तो को मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गई है। जिसका अनुसरण प्रत्येक दशा में किया जाना होगा।
5. शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नीतियों का अनुपालन किया जाना होगा।
6. शेष नियम एवं शर्ते पूर्व स्वीकृत मानचित्र पत्र सं0-1947 दिनांक 01.08.2022 के अनुसार पूर्वत् रहेंगी।

**संलग्नक- स्वीकृत उपविभाजन मानचित्र की एक प्रति।**

भवदीय

(संजीव कश्यप)
मुख्य वास्तुविद् नियोजक

**पृ0सं0 / उक्त / दिनांक-**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त (लखनऊ जोन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. वास्तुविद् नियोजक इकाई-6, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्पत्ति प्रबन्धक, वृन्दावन योजना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

**मुख्य वास्तुविद् नियोजक**